न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ–3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के अंक 203 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को **रू0 20** प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार **जनवरी 2016 से जून 2016** के औसत सूचकांक **271** पर दिनांक **1–10–2016 से 31–03–2017** तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :–

(**271**–203)× 20= **1360.00**

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0
1	2	3	4
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी है) के उद्योग में नियोजन	346 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001 दिनांक 6–3–13	**1360.00**
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	**1360.00**
3	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	**1360.00**
4	वासित पेयों (एरेटेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	**1360.00**
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	**1360.00**
6	परतदार लकडी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	**1360.00**
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	**1360.00**
8	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	**1360.00**
9	सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	**1360.00**
10	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	346 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	**1360.00**
11	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	**1360.00**

1	2	3	4
12	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1360.00
13	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1360.00
14	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1360.00
15	ऐसे अभिनियत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1360.00
16	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1360.00
17	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	347 / VIII / 13–228(श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
18	पत्थर तोडने या पत्थर कूटने में नियोजन।	तदैव	1360.00
19	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1360.00
20	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1360.00
21	आइसकैन्डी / आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1360.00
22	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1360.00
23	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1360.00
24	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पादन विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1360.00
25	लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1360.00
26	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1360.00
27	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1360.00
28	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1360.00
29	कपडा छपाई में नियोजन	348 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
30	क्लबों मे नियोजन	349 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
31	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	351 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
32	यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1360.00
33	आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1360.00

1	2	3	4
34	निजी मुद्रणालयों मे नियोजन	350 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
35	वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन	352 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
36	दुकानों में नियोजन।	352 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
37	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	353 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
38	सिलाई उद्योग में नियोजन	354 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
39	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मेसियों में नियोजन	355 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
40	छोटा मिनियेचन बल्व एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूडी बनाने के उद्योग को छोडकर) में नियोजन।	356 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
41	धर्मशालाओं में नियोजन	357 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
42	निजी पुस्तकालयों मे नियोजन	358 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
43	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	359 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
44	प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राईवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राईवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	360 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
45	हौजरी उद्योग मे नियोजन	362 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
46	चाय बागान में नियोजन	361 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
47 48	1–किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में और 2–किसी तेल मिल मे नियोजन	363 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
49	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ट कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	364 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
50	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	365 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00

1	2	3	4
51	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	366 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
52	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	367 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
53	कालीन बुनाई बुनकरों तथा कताई करने वालों को छोडकर	368 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
54	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	369 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00
55	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1360.00
56	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1360.00
57	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग	370 / VIII / 13–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6–3–13	1360.00

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या 4054 /4–01 / 13 दिनांक 21-9-2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1– उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2– उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।